भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 883

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए बैंक खाते

883. श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 से अब तक प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार कितने बैंक खाते खोले गए हैं;

(ख) वर्ष 2020 से अब तक पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कितने खातों को फ्रीज या आंशिक रुप से फ्रीज किया गया है और इसके क्या कारण हैं, तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीएमजेडीवाई खाताधारकों पर एटीएम लेनदेन विफल होने या खाते में न्यूनतम राशि शेष न रखने संबंधी दंड जैसे प्रच्छन्न शुल्कों के प्रभाव का आकलन किया है और उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) निष्क्रिय खातों का प्रतिशत कितना है और उन्हें पुन:सक्रिय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड़) क्या आधार-आधारित केवाईसी प्रक्रियाएं डेटा विसंगतियों के कारण वित्तीय अपवर्जन का कारण बन रही हैं और क्या प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सुधारों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): देश में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत खोले गए राज्य-वार और वर्ष-वार खातों की कुल संख्या को अनुबंध में दर्शाया गया है।

(ख): पीएमजेडीवाई खातों सहित बचत खातों पर रोक लगाना और इस पर से रोक हटाना एक सतत प्रक्रिया है। सूचित अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी, खाताधारक की मृत्यु, आयकर एवं अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त नोटिसों, न्यायालय के आदेशों आदि जैसे विभिन्न कारणों से खातों पर रोक लगाई जाती है। रोक लगाए गए खातों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग): प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाता एक प्रकार का मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) है जिसमें न्यूनतम शेष राशि की कोई आवश्यकता नहीं है। आरबीआई के दिनांक 10.6.2021 के परिपत्र के अनुसार, बीएसबीडी खाताधारक अपने स्वयं के बैंक के एटीएम से प्रत्येक महीने पांच नि:शुल्क लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन सहित) के लिए पात्र हैं। वे अन्य बैंक के एटीएम से भी नि:शुल्क लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन सहित) अर्थात मेट्रो केन्द्रों में तीन लेनदेन और गैर-मेट्रो केन्द्रों में पांच लेनदेन के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, बैंक किसी भी भौगोलिक स्थान पर अन्य बैंक के एटीएम के साथ-साथ अपने एटीएम से प्रति माह अधिक संख्या में नि:शुल्क लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों दिनांक 10.6.2019 के अनुसार, बैंक उचित और पारदर्शी आधार पर अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारण संरचना सहित आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिन्हें ग्राहकों के विकल्प पर गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जाना है।

(घ) और (ड.): निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों की प्रतिशतता 21.17 (22.1.2025 की स्थिति के अनुसार) है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि खाते में दो साल से अधिक समय से ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं किया गया है, तो बचत के साथ-साथ चालू खाते को निष्क्रिय माना जाना चाहिए। बैंक खाते को सक्रिय रखने के लाभों सहित बैंकिंग आदतों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए शिविरों का आयोजन करके सक्रिय खातों की प्रतिशतता की निगरानी करने के लिए निरंतर ठोस प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा इसकी नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

आरबीआई ने, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को निम्नलिखित सलाह दी है:-

- उन खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करना जहां एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा लेनदेन नहीं किया गया है; और
- इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाना।

इसके अतिरिक्त, बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे निष्क्रिय खातों की संख्या को कम करने तथा ऐसे खातों को चालू और निर्बाध बनाने की प्रक्रिया को सरल और बाधामुक्त बनाएं, जिसमें मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग, नॉन-होम शाखाओं, वीडियो के माध्यम से ग्राहकों की पहचान प्रक्रिया आदि के माध्यम से केवाईसी का निर्बाध अद्यतन करना शामिल है।

आरबीआई के निदेशों के अनुसार, पीएमजेडीवाई खातों सहित कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर 10 साल में एक बार केवाईसी का आवधिक अद्यतन किया जाना है। इसके अतिरिक्त, पुन: केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं:-

- बैंक, जिसमें ग्राहक अपना खाता रखता है, की किसी भी शाखा में किया जाना चाहिए।
- जहां केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन न हो, उन मामलों में बैंकों को स्व-घोषणा प्राप्त करने की अनुमति है।
- वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी)
- पुन: केवाईसी उद्देश्य के लिए नॉन फेस टू फेस मोड में आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।

******

अनुबंध

"पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों" के संबंध में दिनांक 11.2.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रन सं. 883 का भाग (क)

पीएमजेडीवाई खातों की राज्य-वार, वर्ष-वार कुल संख्या

		मार्च 20		मार्च 21		मार्च 22		मार्च 23		मार्च 24		22.1.2025 की स्थिति के अनुसार	
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमजेडीवाई खातों की कुल सं.	परिचालनरत पीएमजेडवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों की कुल सं.	परिचालनरत पीएमजेडवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों की कुल सं.	परिचालनरत पीएमजेडवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों की कुल सं.	परिचालनरत पीएमजेडवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों की कुल सं.	परिचालनरत पीएमजेडवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों की कुल सं.	परिचालनरत पीएमजेडवाई खाते
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.49	0.31	0.47	0.38	0.46	0.37	0.48	0.34	0.61	0.48	0.62	0.49
2	आंध्र प्रदेश	104.52	85.07	116.71	100.51	117.10	97.74	130.84	97.91	147.67	113.96	154.91	117.42
3	अरुणाचल प्रदेश	3.38	2.68	3.55	2.59	3.77	3.27	4.08	3.26	4.52	3.73	4.60	3.68
4	असम	163.56	144.99	186.16	164.24	203.40	187.27	221.55	197.88	236.17	196.58	247.05	199.76
5	बिहार	439.04	382.33	483.92	426.05	510.15	449.98	546.72	459.32	583.84	481.64	622.02	497.52
6	चंडीगढ़	2.54	1.92	2.65	2.08	2.82	2.15	3.06	2.27	3.27	2.38	3.35	2.35
7	छत्तीसगढ	147.64	121.72	153.37	134.89	159.63	138.68	167.07	136.07	175.10	143.56	182.00	150.62
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1.85	1.38	2.06	1.68	2.12	1.66	2.23	1.48	2.31	1.52	2.39	1.52
9	दिल्ली	45.88	37.38	48.16	39.64	53.34	42.99	57.98	44.74	62.98	46.76	66.47	48.44
10	गोवा	1.68	1.13	1.70	1.22	1.70	1.14	1.92	1.11	2.06	1.22	2.15	1.29
11	गुजरात	153.21	118.24	160.59	133.40	168.31	140.22	176.71	134.72	184.04	140.99	191.18	143.43
12	हरियाणा	74.94	62.41	79.05	66.04	84.99	69.82	91.39	70.70	99.25	74.29	104.41	77.42
13	हिमाचल प्रदेश	13.07	11.23	15.06	13.42	16.03	14.19	17.27	14.80	18.76	16.17	19.74	16.42
14	जम्मू एवं कश्मीर	21.45	12.35	24.67	14.92	25.70	15.72	26.38	19.78	27.36	19.66	23.97	17.37
15	झारखंड	133.97	106.59	154.71	129.81	162.22	136.64	174.08	135.42	183.63	142.44	194.31	149.76
16	कर्नाटक	148.76	117.17	152.44	131.21	160.19	131.42	177.72	127.47	192.13	147.47	201.67	154.37
17	केरल	43.09	33.47	47.35	40.02	49.05	41.46	55.31	40.35	62.04	46.35	67.23	48.87
18	लद्दाख	0.19	0.11	0.21	0.12	0.21	0.12	0.21	0.15	0.22	0.14	0.19	0.12
19	लक्षद्वीप	0.06	0.04	0.06	0.05	0.08	0.07	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09
20	मध्य प्रदेश	326.23	258.26	353.97	297.24	372.34	306.35	404.20	314.92	429.88	350.65	447.50	350.58
21	महाराष्ट्र	270.23	203.34	299.69	253.37	313.91	262.26	324.05	250.62	340.81	271.04	363.33	291.70

		मार्च 20		मार्च 21		मार्च 22		मार्च 23		मार्च 24		22.1.2025 की स्थिति के अनुसार	
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमजेडीवाई खातों की कुल सं.	परिचालनरत पीएमजेडवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों की कुल सं.	परिचालनरत पीएमजेडवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों की कुल सं.	परिचालनरत पीएमजेडवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों की कुल सं.	परिचालनरत पीएमजेडवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों की कुल सं.	परिचालनरत पीएमजेडवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों की कुल सं.	परिचालनरत पीएमजेडवाई खाते
22	मणिपुर	9.65	8.40	10.22	8.75	10.21	8.96	10.62	9.01	10.89	8.19	11.15	7.42
23	मेघालय	4.78	3.65	5.93	5.24	6.19	4.99	6.70	5.91	7.75	6.30	8.27	6.51
24	मिजोरम	3.11	2.07	3.21	1.75	3.15	1.64	3.29	2.76	3.82	3.23	4.07	3.53
25	नागालैंड	3.08	2.48	3.28	2.83	3.45	2.95	3.67	2.96	3.92	3.22	4.07	3.30
26	ओडिशा	157.36	129.44	173.17	151.63	185.41	161.61	199.85	165.14	213.18	176.91	227.11	191.06
27	पुदुचेरी	1.59	1.34	1.65	1.44	1.64	1.44	1.89	1.59	2.15	1.82	2.42	2.06
28	पंजाब	69.50	54.65	73.33	61.79	77.34	64.35	84.52	67.26	90.78	70.28	94.50	70.57
29	राजस्थान	269.01	224.11	292.81	260.25	313.77	277.78	333.21	279.22	351.75	289.62	365.64	296.85
30	सिक्किम	0.93	0.63	0.87	0.66	0.86	0.62	0.88	0.58	0.90	0.61	0.94	0.65
31	तमिलनाडु	107.13	83.22	111.53	94.35	115.95	93.19	137.73	102.59	154.04	120.49	168.03	131.81
32	तेलंगाना	96.53	71.66	103.79	90.85	104.35	85.78	111.05	84.42	117.87	92.52	123.76	95.67
33	त्रिपुरा	8.89	8.34	9.11	8.73	8.55	8.17	9.56	8.45	10.29	8.74	11.05	9.49
34	उत्तर प्रदेश	613.31	475.04	713.35	593.23	792.69	659.22	866.99	679.62	925.20	724.66	973.42	733.90
35	उत्तराखंड	25.69	20.47	27.29	23.11	29.06	23.99	32.50	26.09	35.87	27.69	38.08	28.87
36	पश्चिम बंगाल	366.46	322.73	403.97	368.34	445.99	410.40	479.56	431.01	509.50	438.17	534.29	453.43
देश		**3832.80**	**3110.32**	**4220.06**	**3625.83**	**4506.15**	**3848.58**	**4865.36**	**3920.01**	**5194.67**	**4173.58**	**5465.99**	**4308.37**
स्रोत: बैंक													